क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

Ref. No. : 871 / N-48 / सम्बद्ध   Date 28/08/2024

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Subject : Regarding Comprehensive report in compliance of order passed dated 30-05-2024 in O.A. No. 647/ 2024 Pankaj Sharma Vs State of Uttar Pradesh and Ors.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 30-05-2024 in the matter mentioned above, the status report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Your Sincerely

Enclosure : As above.

(Ashutosh Chauhan)
Regional Officer

Copy to :

1. CEO-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Shri Pradeep Mishra, Learned Counsel for U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

AEE CORS INT

Before the National Green Tribunal, Principle Bench, New Delhi

Comprehensive Report Of

M/s NTR Brick Field (formerly Known as M/s NSR Brick Field)

In the matter of

(O.A. No. 647/2024)

Pankaj Sharma

V/S

State of U.P. &Ors

In compliance of

(Order dated 30th May, 2024)

-: Table of Contents :–

S.No.	Content	Page No.
1.	**Comprehensive Report of M/s NTR Brick Field (previously known as M/s NSR Brick Field), Village Sheedal Mafi, Asmoli Road District Sambhal**	1-5
2.	**Annexure 1 (**"The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012" issued by U.P. Government vide notification dated 27.06.2012.**)**	6-14
3.	**Annexure 2 (**UPPCB has issued show cause notice dated 07-04-2021**)**	15-16
4.	**Annexure 3 (**UPPCB has issued closure order dated 02-07-2021**)**	17-18
5.	**Annexure 4 (**UPPCB has issued show cause notice dated 13-04-2023 to impose Environmental Compensation on the unit**)**	19
6.	**Annexure 5 (**UPPCB has imposed the Environmental Compensation dated 11-12-2023**)**	20
7.	**Annexure 6 (**UPPCB vide letter dated 02-01-2024, issued the demand letter to Collector, District Sambhal for recovery of the said amount from the Brick Kiln.**)**	21
8.	**Annexure 7 (**Hon'ble High Court Allahabad order dated 21-02-2024 in Writ C No. 5054 of	22-23

	2024 (Connected with Writ C No. 1525 of 2024)**)**	
9.	**Annexure 8 (**U.P. Pollution Control Board, Moradabad and District Administration, Sambhal jointly on 01.05.2024.**)**	24-25
10.	**Annexure 9 (**U.P. Pollution Control Board, Moradabad and District Administration, Sambhal jointly on 28-06-2024.**)**	26-27
11.	**Annexure 10 (**Latest inspection of the brick kiln was carried out by the officials Regional Office, UPPCB, Moradabad on 25.07.2024**)**	28

Comprehensive Report of M/s NTR Brick Field (previously known as M/s NSR Brick Field), Village Sheedal Mafi, Asmoli Road District Sambhal in compliance to the order dated 30-05-2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi -

1. That the Hon'ble National Green Tribunal hereinafter referred to as "Hon'ble Tribunal" vide its order dated 30.05.2024 has passed the operative part of the order is reproduced here-

"…………7 Respondent No. 2, Member Secretary, UPPCB will ascertain the correct factual status from the spot and submit a comprehensive report in respect of operation of Respondent No. 5 unit, compliance of requisite norms by it, and the current operating status, within a period of four weeks from today.……………."

2. **<u>That the information of M/s NTR Brick Field (formerly known as M/s NSR Brick Field) :</u>**

A – General Information-

S.No.	Related Points	Information regarding points
1	**Name and Address of Brick Kiln**	M/s NTR Brick Field (known as M/s NSR Brick Field), Village-Seedhal Mafi, Asmoli, District Sambhal, U.P.
2	**Geo Co-ordinates**	Latitude- 28.764389 Longitude – 78.617704
3	**Year of Establishment**	2016-17
4	**Status of Consent to Establish (CTE)**	CTE Not obtained
5	**Consent Status and its validity**	Not obtained
6	**Production Capacity**	Red Bricks- 22000 Number/Day
7	**Raw Materials**	Sand, Soil and Water
8	**Water consumption**	Domestic- Approx 2.0 KLD Process- Approx 5.0 KLD(for mixing

		with soil)
9	**Effluent generation**	Domestic- Approx 1.6 KLD Industrial- 0.0 KLD
10	**Stack Height**	30 Meter high above ground level
11	**Fuel Used**	Wood & Coal – 3.5 TPD
12	**Air Pollution Control system (APCS)**	Gravitational Settling Chamber
13	**Fugitive Dust Emission control measures**	Not available
14	**Technology of brick kiln**	Fixed Chimney Bull Trench

B- Status of brick kiln as per"The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012" -

Sr. No.	Particulars	Standards as per Rules, 2012	Distance from Brick Kiln	Status of brick kiln with reference to the Rules, 2012
i	Habitation (Minimum 20 Houses or population more than 150 people), Public Places, Hospital, School, Religious Places.	Minimum 1000 M from Brick Kiln	Village Sidhal Mafi (Having more than 20 houses and population more than 150 people) is situated at distance approx350 meters in the north direction from the stack of brick kiln.	Non Complying

ii	Nearest Brick Kiln	Minimum 800 M from Brick Kiln	Another brick kiln is located at distance approx 600 meters in the south direction.	Non Complying
iii	Nearest Orchard (Minimum 100 trees of fruits or minimum 2.5 acre are).	Minimum 800 M from Brick Kiln	A mango orchard (more than 2.5 acre) is situated at approx400 meters in the north-west direction.	Non Complying

3. **<u>That certain observations were made from the spot inspections which are as follows :</u>**

   That the said brick kiln was established and commenced it's operation in the year 2016-17 without obtaining requisite CTE / CTO from the UP Pollution Control Board. The applicable guideline on said brick Kiln is "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012" issued by U.P. Government vide notification dated 27.06.2012. The brick kiln has been running/operating by breaching the above guidelines. Copy of the guideline is annexed as **Annexure-1**.

4. **<u>That Action Taken by UPPCB against the illegal operating brick kiln are:</u>**

   i. That the said brick Kiln was inspected by the official of UPPCB, Moradabad on 01-03-2020 and 01-01-2021. It was found that the brick kiln was in operation. Thereafter UPPCB, vide letter no. 61510/C-7/EintBhatta/Air-1683/SCN/Sambhal/2021 dated 07-04-2021 issued show cause notice for closure to the said brick kiln u/s 31A of the Air (Prevention

and Control of Pollution) Act 1981. Copy of the letter is annexed as **Annexure-2**.

ii. That based on the regular inspection carried out by Regional Office, UPPCB, Moradabad and based on the non-compliance of the unit, UPPCB has issued closure order vide letter no. H60351/C-7/Air/1683/closure order/ Mora./2021 dated 02-07-2021 u/s 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981. The copy of the closure was also send to The District Magistrate, The Minning Officer, Zila Panchayat, District Smabhal for information and necessary action. Copy of the letter is annexed as **Annexure-3**.

iii. That the unit was again inspected on 09-02-2023, during inspection the brick kiln was found operational in violation of closure order. Based on above facts, UPPCB, vide it's letter no. H92005/C-7/Vividh-627/Jeetu Yadav/ Sambhal/89/2023 dated 13-04-2023, issued the show cause notice to impose Environmental Compensation on the unit. Copy of the letter is annexed as **Annexure-4**.

iv. That the unit has not replied to the show cause notice dated 13-04-2023. Therefore UPPCB vide it's letter no. H03841/C-7/Vividh – 627/Jeetu Yadav/Sambhal/2023 dated 11-12-2023, imposed the Environmental Compensation of Rs. 2718750/- (Rupees- Twenty Seven Lac Eighteen Thousand Seven Hundred and Fifty only) on the unit. Copy of the letter is annexed as **Annexure-5**.

v. That the unit has not deposited the Environmental Compensation imposed by UPPCB. Based on above, UPPCB vide letter dated 02-01-2024, issued the demand letter to Collector, District Sambhal for recovery of the said amount from the Brick Kiln. Copy of the letter is annexed as **Annexure-6**.

vi. That in addition to this, it is also submitted that Hon'ble High Court Allahabad has vide order dated 21-02-2024 in Writ C No. 5054 of 2024 (Connected with Writ C No. 1525 of 2024) has passed an order that in the meanwhile recovery pursuant to the impugned recovery demand notice

shall remain in abeyance. Copy of order dated 21-02-2024 is annexed as **Annexure-7.**

vii. That the unit was further inspected by U.P. Pollution Control Board, Moradabad and District Administration, Sambhal jointly on 01.05.2024 & 28-06-2024. During the above inspections, the said brick kiln was found operational and ignoring rules. The team has forcefully stopped the operation at the time of both inspections. Copies of the inspection report/ action taken report are annexed as **Annexure-8 & 9**.

viii. That the latest inspection of the brick kiln was carried out by the officials Regional Office, UPPCB, Moradabad on 25.07.2024. During the inspection the brick kiln was found closed. Copy of inspection report is attached as **Annexure - 10**.

Therefore, the above comprehensive report is submitted before Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

Report prepared by :

Sr. No.	Name & Designation	Signature
1	Anil Kumar, Scientific Asst.	
2	J.N. Tiwari, Asst. Env. Eng.	
3	Ashutosh Chauhan, Regional Officer	

A-07636/C-5/…-34/2012 — 16/7/12

Annexure-1

उत्तर प्रदेश सरकार
पर्यावरण अनुभाग
संख्या–921/55–पर्या/12–94(पर्या)/11
लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2012

दिनांक 27 जून, 2012 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सदस्य–सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे आगामी गजट अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वेब मास्टर/वेब अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्या: 921 /55–पर्या/12–94(पर्या)/11
लखनऊ, दिनांक 27 ~~अप्रैल~~ जून, 2012

अधिसूचना

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के खण्ड (य) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईट भट्ठों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आवासीय क्षेत्र/जनसंख्या/संवेदनशील क्षेत्र/आम अथवा फलदार बागों से दूरी

2. उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–18, सन् 1985) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईट भट्ठा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है :–

(एक) कोई ईट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्वन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100–150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।

(दो) कोई ईट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया

जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर कि. स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ई. भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी.टी.जेड.) क्षेत्र के मामले में समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे—

(तीन) कोई ईंट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईंट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पॉच) कोई ईंट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छः) कोई ईंट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के 'बफर जोन' में कोई ईट भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नही दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई, में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईंट भट्ठा से दूरियॉ प्रत्येक दिशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के बृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

ईंट भट्ठा की स्थापना हेतु अनुमति	3.	ईंट भट्ठा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईंट भट्ठा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।
उत्सर्जन मानक	4.	भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा ईंट भट्ठों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊचांई सम्मिलित है, ईंट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस आर 543(ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।
ईंट भट्ठे में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियॉ	5.	इस नियमावली के अधीन स्थापित ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी:—

(क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डंण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले के स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में;

(ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे—पत्थर, धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईंटों की पथाई में फ्लाई एश :

परन्तु स्पेण्ट आर्गनिक, साल्वेन्ट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेश केक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि और अन्य अपशिष्ट यथा प्लास्टिक रबड़, चमड़ा का ईंट भट्ठा में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेंगा।

ईंट भट्ठे स्वत्वधारी के कर्तव्य	6. (1)	ईंट भट्ठे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पेटी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पेटी विकास के साथ ईंट भट्ठा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड़ है।
	(2)	तड़ित हमले के कारण भट्ठे/चिमनी को क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार

तड़ित अवरोधक ईंट भट्ठा के लिए स्थापित कि जायेगा।

(3) ईंट भट्ठा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख-रखाव प्रक्रिया जिसमें, कोयले की रांख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईंटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईंट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईंटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खडी कटाई न की जाय अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि-भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

ईंट भट्ठा की प्रचालन हेतु अनुमति

7. कोई व्यक्ति जो कि ईंट भट्ठा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईंट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यवसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद् से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है :

परन्तु यह कि, कोई ईंट भट्ठा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और [illegible] वायु (प्रदूषण निवारण [illegible] नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

Uttar Pradesh Shasan,
Paryavaran Anubhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 921/55-पर्या/12-94(पर्या)/11 2012 dated June 27, 2012

No. 921/55-पर्या/12-94 (पर्या)/ 2012
Dated Lucknow, June 27, 2012

In exercise of the powers under sub section (1) of section 54 readwith clause (z) of sub section (2) of the said section and sub section (1) of section 21 of the Air (Prevention And Control) of Pollution) Act, 1981 (Act no.14 of 1981) the Governor, after consultation with the Uttar Pradesh Pollution control Board and after considering the objections and suggestions received from concerned person, is pleased to make the following rules with a view to regulating the siting criteria for the establishment of new brick kilns in the State of Uttar Pradesh:-

THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITING CRITERIA FOR ESTABLISHMENT) RULES, 2012

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Brick kiln (Sitting Criteria For Establishment) Rules, 2012

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Distance from residential area/ population /sensitive area/mango or fruit orchard

2. Subject to provisions of the Uttar Pradesh Promotion and Protection of Fruit Trees (Regulation of Harmful Establishment and Housing Schemes) Act, 1985 (U.P. Act No. 18 of 1985, a brick kiln shall not be established which does not fulfill the following conditions:-

(i) a brick kiln shall not be established with in a distance of 5.0 kilometers from the area of a Municipal Council or Municipal Corporation. Subject to the above restrictions brick kiln shall be established at least 500 meters away

from residential area having minimum population 150 persons or 20 houses either kachha or pucca ... 1.0 kilometer from a residential area having population more than 150 persons or more than 20 houses whi... kachha or pucca;

(ii) a brick kiln shall not be established at a place within ... distance of 1.0 kilometer from registered hospital, scho... public building, religious places or a place from whe... flammable substances are stored; a brick kiln shall not ... established within a radius of 5.0 kilometers in notifi... sensitive areas of a zoo, wild life sanctuaries, histor... monuments, museum and the like:

Provided that in case of Taj Trapezium Zone Are... (T.T.Z.) the directions/ guidelines given by the Suprem... Court from time to time, shall apply;

(iii) a brick kiln shall not be established within a distance ... 200 meters from the sides of the railway tracks;

(iv) a brick kiln shall not be established within the distance o... 300 meters from both sides of the National and Stat... Highways;

(v) a brick kiln shall not be established within a distance o... 100 meters from both sides of a main district road /public works department roads;

(vi) a brick kiln shall not be established within 800 meters from a brick kiln already established;

(vii) a brick kiln should not be allowed to install in the 'Buffer zone' of a notified fruit belt area as defined in 'The Uttar Pradesh Promotion and Protection of Fruit Trees (Regulation of Harmful Establishments And Housing Schemes) Act, 1985' and the restriction made by competent authority concerned or decision of court on case to case basis, if any.

Distance from sides of mango orchard/Mixed fruits (mango and other) orchard (having at least 100 fruiting trees)/ joint nursery from brick kiln shall not be less than 800 meters in each direction. The mentioned distances are applicable irrespective of the variety/type of

संख्या– 303 /81–7–2021–39(पर्या)/2014 टी०सी०–1

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2021

विषय–प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्ठों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–970/81–7–2019–39(पर्या)/2014 टी.सी.–1, दिनांक 21.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईंट भट्ठों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईंट भट्ठा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्यकर के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे।

2– अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी इन्वेन्ट्री के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के अन्तर्गत कुल 19199 ईंट भट्ठा उद्योग स्थापित हैं। प्रदेश में कुल 1905 ईंट भट्ठों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–3709(एम.बी.)/2010 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2010 एवं जनहित याचिका संख्या–20773/2014 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 के अनुपालनार्थ स्थानीय प्रशासन द्वारा बन्दी की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

3— अतः उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईंट भट्ठों के विरूद्ध बन्दी आदेश की जनपदवार विवरण संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ईंट भट्ठों को जारी बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करें, जिससे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2010 एवं 01.05.2014 का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

(संजय सिंह),
सचिव।

संख्या— 303 (1)/81—7—2021—39(पर्या)/2014 टी0सी0—1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/भूतत्व एवं खनिकर्म/गृह/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ/प्रयागराज।
4. आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

Annexure - 2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या एफ0 /सी–7/ईंट भट्ठा/वायु–1683/का0व0नो0/संभल/2021 दिनांक:–

सेवा में,

मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड,
ग्राम सीडलमाफी,
तहसील व जनपद–सम्भल।

यह कि मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडलमाफी, तहसील व जनपद–सम्भल द्वारा ईंट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडलमाफी, तहसील व जनपद–सम्भल का स्थल निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद के अधिकारियो द्वारा दिनांक 01.01.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। ईंट भट्ठे द्वारा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडलमाफी, तहसील व जनपद–सम्भल द्वारा संचालन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से संचालन हेतु पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन कर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 मे निहित आज्ञापक प्राविधानो का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि एक दण्डनीय कृत्य है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियो मे वायु प्रदूषण की रोकथाम व पर्यावरण हित मे जन स्वास्थ्य एवं जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–(ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडलमाफी, तहसील व जनपद–सम्भल के विरूद्ध निम्नरूपेण कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते है:–

1. यह कि क्यों न मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडलमाफी, तहसील व जनपद–सम्भल के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाए कि मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडलमाफी, तहसील व जनपद–सम्भल को मिलने वाली बिजली, पानी तथा मिलने वाली अन्य सुविधाओ को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।

(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–7

2/–

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522 2720764
ई–मेल– info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, सम्भल।
2 जिला खनन अधिकारी, सम्भल ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन हेतु मैसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–रीडलगाफी, तहसील व जनपद–सम्भल को कारण बताओ नोटिस प्राप्त कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें एवं अनवरत निरीक्षण सुनिश्चित कर आख्या सारांश प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Annexure - 3

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0– एच30051 / सी–7 / वायु / 1683 / बंदी आदेश / मुरा0 / 2021 दिनांक 3/7/21

आवती सं0............ पंजीकृत
सीरियल सं0............
फाइल सं0............
दिनांक............

N-4

सेवा में,

मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड,
ग्राम–सीडल माफी, असमौली रोड,
जनपद–सम्भल

यह कि मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद–सम्भल द्वारा ईंट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईंट भट्ठे का स्थल निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.05.2021 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ईंट भट्ठे की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया एवं स्थापना स्थल उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 में ईंट भट्ठे के लिए स्थल चयन के निर्दिष्ट मानकों के अनुसार नहीं है एवं ईंट भट्ठे की स्थापना / सचालन हेतु बोर्ड से पूर्व वायु सहमति प्राप्त नहीं है।

यह कि ईंट भट्ठे को दिनांक 07.04.2021 को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 यथा सशोधित की धारा 31ए के अर्न्तगत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उत्तर उद्योग द्वारा नहीं दिया गया।

यह कि मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद–सम्भल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत बिना राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किये अपनी औद्योगिक इकाई की स्थापना कर संचालन करते हुए वायु प्रदूषक पदार्थो का निस्तारण कर रहा है, जिससे आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, जो वायु अधिनियम, 1981 में वर्णित प्राविधानों का उल्लघन है तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी मुरादाबाद के पत्र दिनांक 08.06.2021 द्वारा ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.04.2021 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम व पर्यावरण हित मे जन स्वास्थ्य एवं जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड द्वारा आवश्यक पाया गया है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–(ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद–सम्भल के विरूद्ध बोर्ड के पत्र सं0–एच61510 / सी–7 / वायु / 1683 / का0ब0नोटिस / 2021 दिनांक 07.04.2021 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये निम्नरूपेण बंदी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं :–

1. यह कि मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद–सम्भल के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

.....2/–

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स–0522–2720764
ई–मेल– info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com

SA

2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद–सम्भल को मिलने वाली बिजली, पानी तथा मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–7

पृष्ठांकन संख्यां एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध से कि कृपया सम्बन्धित अधिकारी को ईट भट्ठे को बन्द कराने हेतु निर्देशित करना चाहें।
2. प्रभारी अधिकारी खनन, जनपद सम्भल को इस आशय के साथ कि मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद–सम्भल का खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का कष्ट करें।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सम्भल को इस आशय के साथ कि मेसर्स एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, ग्राम--सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद–सम्भल का लाईसेंस निरस्त करते हुए भटठे का उत्पादन/संचालन अपने स्थर से बन्द करायें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु ईट भटटे को बन्दी आदेश प्राप्त कराकर स्वंय जिलधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क कर बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0–H92005/C–7/Vividh–627/Jeetu Yadav/Sambhal/89/2023 दिनांक:–13.04.23

सेवा में,
M/s NSR Brick Field
Sheedal Mafi, Asmoli Road

विषयः– बोर्ड के पत्र दिनांक 02/07/2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02/07/2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत ईट भट्ठे मै0 NSR Brick Field Sheedal Mafi, Asmoli Road के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 09/02/2023 को किया गया जिसमें ईट भट्ठे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02/07/2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आपका ईट भट्ठा वर्ष 2016 से संचालित है। ईट भट्ठे द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार विगत 05 वर्षों हेतु कुल दिवस 1350 दिन के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्नवत् आंकलित की जाती है –

EC = PIxNxRxSxLF

EC = 50x1x250x0.5x1 (Per Day)

= Rs. 6,250/- Per Day

For 1350 days, EC=Rs. 8,437,500/-(Eighty Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only)

ईट भट्ठा मै0 NSR Brick Field Sheedal Mafi, Asmoli Road द्वारा किये गये उक्त उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध Rs. 8,437,500/-(Eighty Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया जाता है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त नोटिस का प्रतिउत्तर/प्रत्यावेदन 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाएगी जिसकी संपूर्ण उत्तरदायिता स्वयं ईट भट्ठे की होगी।

भवदीय,

Vivek Roy

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई–मेल–info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure - 5

संदर्भ स0–H03841/C–7/Vividh–627/Jeetu Yadav/Sambhal/2023 दिनांकः– 11.12.2023

सेवा में,

M/s NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal

विषयः– बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत ईट भट्ठे M/s NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्ठे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईंट भट्ठे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईंट भट्ठे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक–08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal पर बंदी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रू 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 435 हेतु रू 2718750/– का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0–701502010002104 आई0एफ0एस0कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1..जिलाधिकारी, सम्भल।
2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद–सम्भल।
3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure - 6

संदर्भ स0–H05088 /C-7/Vividh-627/Jeetu Yadav/Sambhal/2023 दिनांकः– 02/01/24

Regd.

To,

The Collector,
Sambhal

Subject: Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal

Vide its order dated 21-12-2023 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions;

"........10. *If we accept the submission of Shri Pradeep Misra that the communication sent by Member Secretary, UPPCB to the concerned District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha are orders under Section 31A of the Air Act, then for non-compliance of the said order the competent officers of UPPCB are required to take action under Section 37 of the Air Act. In both the eventualities, either through issuance of recovery certificate by the competent officer of UPPCB or issuing direction in terms of Section 31A of Air Act, if there is an inaction by the authorities then the action is required to be taken in terms of provisions noted above by competent authority of UPPCB which they have failed to take till now......*"

Further, please refer to H.O. letter No. H03841/C-7/Vividh-627/Jeetu Yadav/Sambhal/2023 dated 11-12-2023 on the above subject. It is to inform you that vide letter dated 02-07-2021 UPPCB has issued closure against the above mentioned unit under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. UPPCB vide letter dated 11-12-2023 has imposed Environmental Compensation of ₹ 2718750/- against the unit. The unit has not deposited the imposed Environmental Compensation till date.

The sum of ₹ 2718750/- (₹ Twenty Seven Lakh Eighteen Thousand Seven Hundred Fifty Only) is payable in account of Environment Compensation from M/s NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal

The Name and Address of the Owner/ Directors of the concerned industry is as follows:

1. Liyakat Husain C/o M/s NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal

You are hereby requested to recover the same as land revenue and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No. 701502010002104, IFSC Code- UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow. The cost of the proceedings if any shall be recovered in addition.

1.	Amount to be recovered	₹ 2718750/-
2.	Cost of the Proceedings	₹ 271875/-
3.	Total Amount (1 + 2)	₹ 2990625/-

Yours Sincerely,

Member Secretary

CC:-Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Moradabad.

Member Secretary

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 5054 of 2024

N- 46/संलग्नक

Annexure - 7

Petitioner :- M/S Nsr Brick Field
Respondent :- State Of Up And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Pradeep Kumar
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
Hon'ble Kshitij Shailendra,J.

1. Learned counsel for the respondent prays for time to file counter affidavit.

2. Time prayed for is allowed.

3. Connect with Writ-C No.1525 of 2024.

4. In the meanwhile, recovery pursuant to the impugned recovery demand notice (Annexure-1) shall remain in abeyance.

Order Date :- 21.2.2024
AKShukla/-

(Kshitij Shailendra, J.) **(Manoj Kumar Gupta, J.)**

Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 1525 of 2024

Petitioner :- M/S Arzu Brick Works
Respondent :- State Of Up And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Mohammad Danish,Prem Narayan Rai
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
Hon'ble Manish Kumar Nigam,J.

1. On the request of learned counsel for the petitioner, two weeks' time is granted to file rejoinder affidavit.

2. List on 21.08.2024.

Order Date :- 30.7.2024
Ved Prakash

(Manish Kumar Nigam, J.) **(Manoj Kumar Gupta, J.)**

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक H63051/सी-7/वायु/1683/बंदी आदेश/मुरा/2021 दिनांक 02.07.2021 व शासनादेश संख्या 303(1)/81–7–2021–31 (पर्या)/2014 टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39 (पर्या)/2014 टी0सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में आज दिनांक 01.05.2024 को नायब तहसीलदार तहसील सम्भल, जनपद सम्भल व क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद तथा खनन विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम स्तर से स्थापित/संचालित ईट भट्ठा मैसर्स एन.टी.आर. ब्रिक फर्म्स पूर्व नाम एन.एस.आर. ब्रिक फर्म्स, ग्राम सौंडलपा तह. जि. सम्भल का उत्पादन कार्य बन्द कराये जाने हेतु फर्द निष्पादन एवं फायर ब्रिगेड/टेंडर द्वारा पानी डालकर/ईट भट्ठे पर स्थापित आई0डी0 फैन को सील बन्द कर उक्त ईंट भट्ठे को बन्द करा दिया गया है तथा भविष्य में ईंट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु उपस्थित प्रतिनिधि श्री इकरा हसन, प्रो0 को निर्देशित कर दिया गया है।

(signature) 01/05/24
(डा0 के0 शुक्ला)
स. प.
उ0प्र0 प्र0 नि0 बोर्ड
मुरादाबाद

(signature)
(अनिल कुमार)
खान निरीक्षक
कनिष्ठ अभि0 (?)
मुरादाबाद

(signature)
(सतेन्द्र सिंह)
नायब तहसीलदार
तह. - सम्भल
जि. - सम्भल

(signature)
(इकरा हसन)
उपस्थित प्रतिनिधि
एन टी आर ब्रिक फर्म्स
(एन.एस.आर. ब्रिक फर्म्स)
9760811616

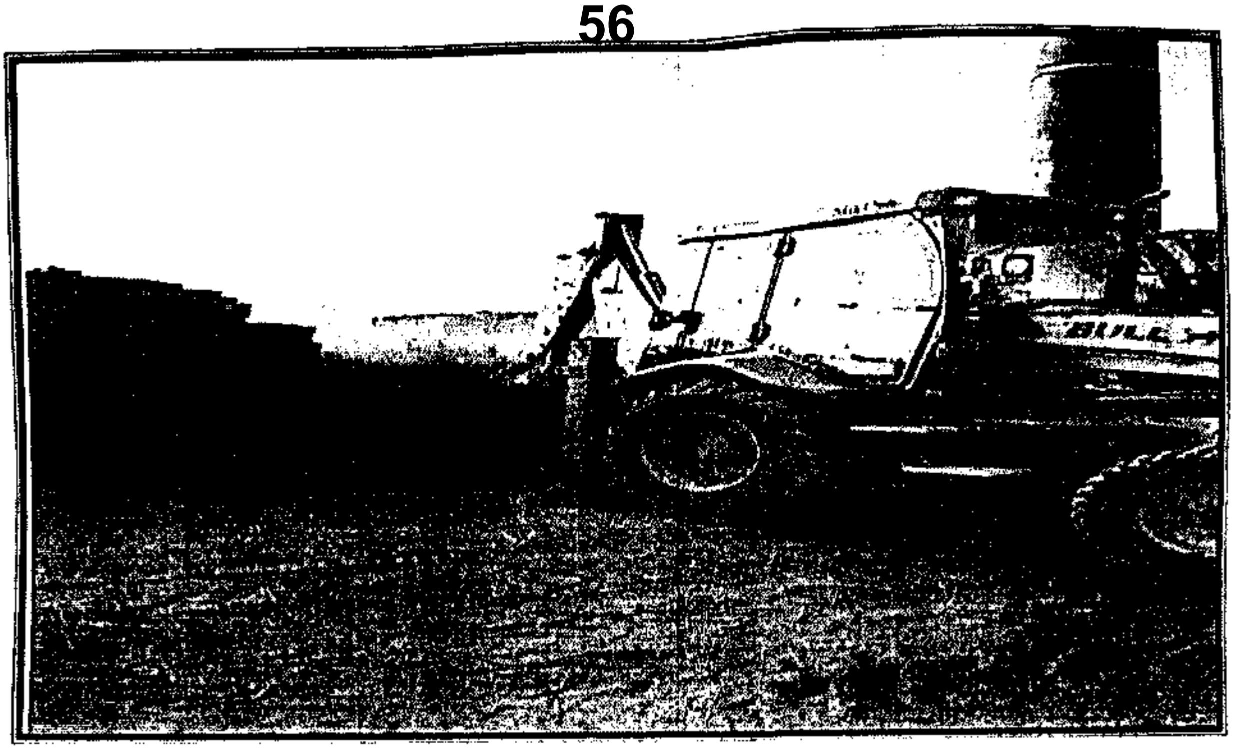

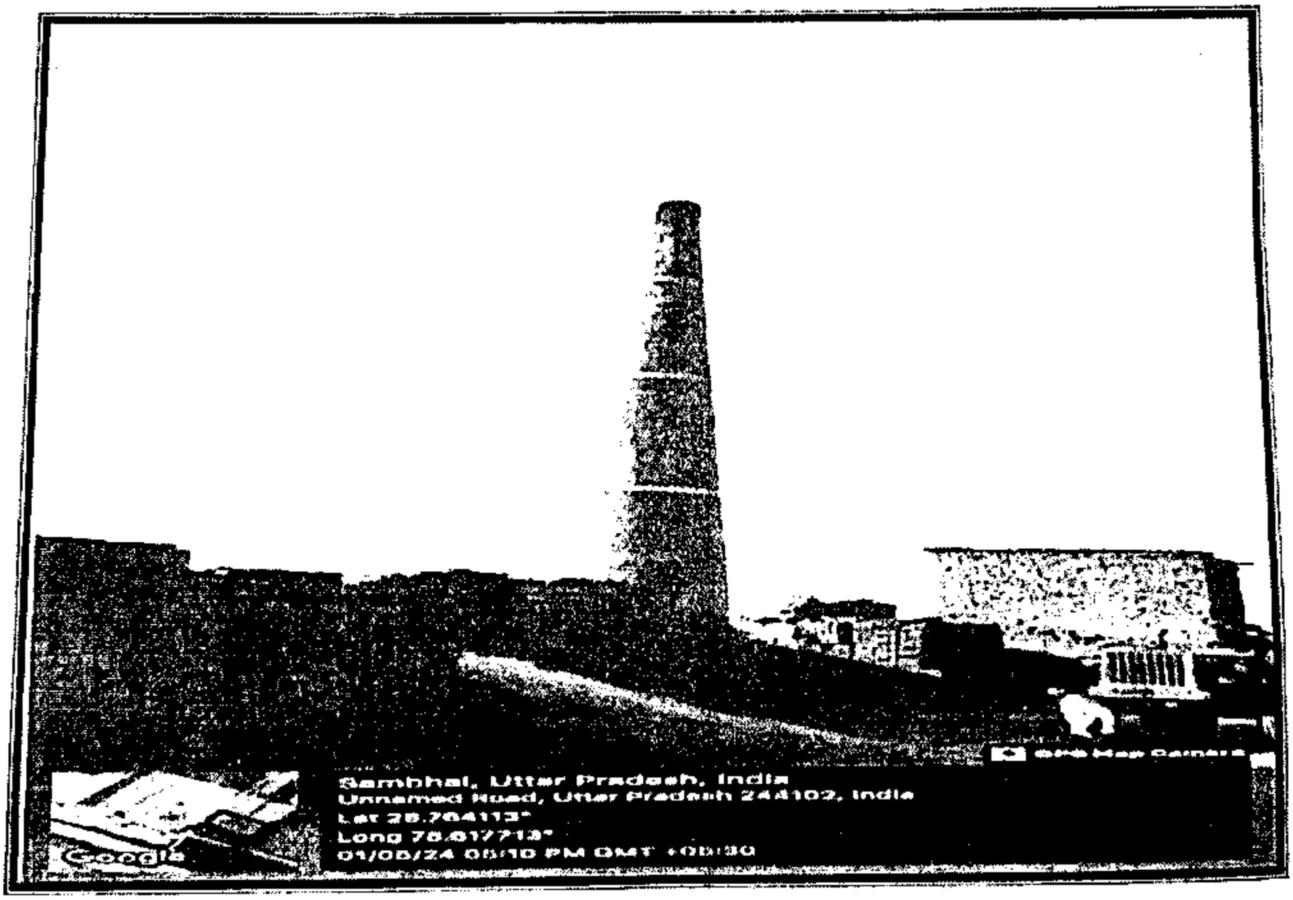

आज दिनांक 01.05.2024 को मैसर्स एन.टी.आर ब्रिक वर्क्स पूर्व नाम एन.एस.आर ब्रिक वर्क्स, ग्राम सीडलमाफी, थाना असमौली, तहसील व जनपद सम्भल में संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान अवैध रुप से संचालित ईट भट्ठे की फर्द निष्पादन की कार्यवाही करते समय लिये गये फोटोग्राफ।

57 4-845

Annexure - 9

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक H6305/सी-7/वापु/1683/वंदीआदेश/ग्राप/2021 दिनांक 02.07.21 व शासनादेश संख्या 303(1)/81–7–2021–31 (पर्या)/2014 टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39 (पर्या)/2014 टी0सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में आज दिनाक 28.06.24 को नायब तहसीलदार तहसील सम्भल जनपद सम्भल व क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद तथा खनन् विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से स्थापित/संचालित ईट भट्ठा मैसर्स एन.टी.आर. ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम एन.एस.आर. ब्रिक फील्ड) ग्रा- सीडल-माफी, तह. व जि. - सम्भल का उत्पादन कार्य बन्द कराये जाने हेतु फर्द निष्पादन एवं फायर केनन/टेडर द्वारा पानी डालकर/ईट भट्ठे पर स्थापित आई0डी0 फैन को सील बन्द कर उक्त ईट भट्ठे को बन्द करा दिया गया है तथा भविष्य में ईट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु उपस्थित प्रतिनिधि श्री लियाकत पु0 नजीर अहमद को निर्देशित कर दिया गया है।

28/6/24 (राकेश शुक्ला) प्रयो. सहा. उ.प्र.प्र. नि. बोर्ड मुरादाबाद	28/6/24 (अनिल कुमार) वै. सहा. उ.प्र.प्र. नि. बोर्ड मुरादाबाद	(धर्मेन्द्र सिंह) नायब तहसीलदार तह. सम्भल जि. - सम्भल

लियाकत
(श्री लियाकत)
उ0
(उपस्थित प्रतिनिधि)
मै. एन.टी.आर. ब्रिक फील्ड
(पूर्व नाम एन.एस.आर. ब्रिक फील्ड)
सीडलमाफी, सम्भल

आज दिनांक 28.06.2024 को मैसर्स एन0टी0आर0 ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड), ग्राम सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद सम्भल में संयुक्त रुप से निरीक्षण के दौरान अवैध रुप से संचालित ईट भट्ठे की फर्द निष्पादन की कार्यवाही करते समय लिये गये फोटोग्राफ।

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

59

e-Stamp

IN-UP94834559193645W

Annexure - 10

Certificate No.	:	IN-UP94834559193645W
Certificate Issued Date	:	28-Jun-2024 03:25 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14652304/ BILARI/ UP-MRD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14652304860769670391 53W
Purchased by	:	LIYAKAT HUSSAIN SO NAJIR AHMAD AND OTHER
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	LIYAKAT HUSSAIN SO NAJIR AHMAD AND OTHER
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	LIYAKAT HUSSAIN SO NAJIR AHMAD AND OTHER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

VED PRAKASH UP14652304 MORADABAD

NOTARY MORADABAD GOVT OF INDIA R.V. SAXENA Adv/Notary Regd. No. 3652 Distt. MBD

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY MORADABAD GOVT OF INDIA R.V. SAXENA Adv/Notary Regd. No. 3652 Distt. MBD

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

समक्ष – क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 नियंत्रण वोर्ड मुरादाबाद ।

शपथपत्र मिनजानिव लियाकत अली पुत्र नजीर अहमद व इबने हसन पुत्र नजीर अहमद निवासी ग्राम मीरपुर साकीपुर, थाना असमोली तहसील व जिला सम्भल ।

शपथकर्तागण शपथपूर्वक कथन करते है कि –

1. यह कि शपथकर्तागण उपरोक्त नाम व पते के निवासी हैं।
2. यह कि उपरोक्त हमारे द्वारा मैसर्स एन0 टी0 आर0 बिक वर्क्स पूर्व नाम मैसर्स एन0 एस0 आर0 ब्रिक फिल्ड, ग्राम सीढलमाफी थाना असमोली तहसील व जिला सम्भल में ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा था।
3. यह कि उक्त ईट भट्टे को बन्द कर दिया गया है तथा उक्त ईट – भट्टे का भविष्य में संचालन नहीं किया जायेगा ।
4. यह कि यदि उक्त ईट –भट्टे का संचालन किया जायेगा, तो विभाग से अनुमति प्रदान करने के उपरान्त किया जायेगा।
5. यह कि यदि उक्त ईट–भट्टे का संचालन विभाग से बिना अनुमति किये बिना किया जाता है, तो उक्त भट्टे के विरूद्व की गई समस्त कार्यवाही की जिम्मेदारी हमारी होगी ।

यह कि शपथपत्र का पैरा संख्या – 01 ता 05 कथन सब सच व सही है, कुछ झूठ नही है और ना ही कुछ छिपाया गया है, ईश्वर हमारी मदद करें।

शपथकर्तागण

लियाकत

शपथकर्तागण

इबने हसन

लियाकत अली
एवं इबनेहसन
28/6/2024

R.V. SHARMA
Advocate/Notary Public
Reg.No.- 3033
28/6/2024

Annexure - 11

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

मैसर्स एन.एस.आर. ब्रिक फील्ड (वर्तमान नाम एन.टी.आर. ब्रिक फील्ड), ग्राम सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद संभल की निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त विषयक संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 25.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रुप में श्री लियाकत हुसैन, प्रोपराइटर (मो0 नं0 9837506120) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त ईट भट्ठा मैसर्स एन.एस.आर. ब्रिक फील्ड (वर्तमान नाम एन.टी.आर. ब्रिक फील्ड), ग्राम सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद संभल में अंक्षाश 28.764389, देशान्तर 78.617704 पर स्थापित है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठा वर्ष 2016–17 से स्थापित है।
2. उक्त ईट भट्ठे द्वारा मिट्ठी, बालू व पानी का प्रयोग कर लगभग 22000 ईट/दिन का उत्पादन किया जाता है।
3. उक्त ईट भट्ठे मे ईधन के रूप में 3.5 टन/दिन लकडी व कोयले का प्रयोग किया जाता है।
4. उक्त ईट भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ हेतु सहमति प्राप्त नही की गयी है।
5. उक्त ईट भट्ठे का स्थापना स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.06.2012 "उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012" के अनुरुप न होने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 63051/सी–7/1683/बन्दी आदेश/मुरा0/2023 दिनांक 02.07.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। जोकि वर्तमान में प्रभावी है।
6. उक्त ईट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 02.07.2021 के क्रम में नायब तहसीलदार, तहसील व जनपद सम्भल एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा संयुक्त रुप से अभियान चलाकर दिनांक 28.06.2024 को उक्त ईट भट्ठे का संचालन फर्द निष्पादन कराकर बन्द कराया गया ।
7. उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 03841/सी–7/विविध–627/जीतू यादव /संभल/2023 दिनांक 11.12.2023 के माध्यम से रूपये 27,18,750/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उक्त ईट भट्ठे द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में Writ –C No. - 5054 of 2204 दाखिल की गयी थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा Writ –C No.- 1525 of 2204 में सम्मिलित किया गया है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2024 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।
8. उक्त ईट भट्ठे द्वारा भविष्य में ईट भट्ठे का संचालन राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने उपरान्त ही संचालन किये जाने के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनांक 28.06.2024 प्रस्तुत किया गया है।
9. अद्यतन निरीक्षण दिनांक 25.07.2024 के समय उक्त ईट भट्ठा उत्पादनरत नही पाया गया।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

31/7/24
(विनय कुमार)
जे0आर0एफ0

31-7-24
(अनिल कुमार)
वैज्ञा0 सहायक

सहा.पर्या.अभि./क्षेत्रीय अधिकारी महोदय